



डेडीफ्रेट कॅरिडोर

डेडीफ्रेट कॅरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-769

New Delhi: 08.08.2024

Special Laand Acquisition
Office Collectriocate,
District Aligarh
UP-202001

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: RTI application dated 16.07.2024 received in this office on 22.07.2024.

Enclosed please find an RTI application received from Sh. Rajendra Singh transferred under Section 6(3) of RTI Act 2005 to your office.

Information on points pertaining to your office may please be provided to the applicant directly under intimation to this office.

(S.K. Panda)

AGM/Admn.(PIO)

Mob.-9717636811

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

Sh. Rajendra Singh
S/o Sh. Hari Shankar
Niwasi Sarai Gadi Nai Aabadi
Baypass Road Sasani Gate
Aligarh, UP-202001
Mobile-9990688822

: Your RTI has been transferred to above office. Please followup with the above office.'

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

No. IMSD/DAQN/Y-24/M-07/RTI/Letter

Dated-31.07.2024.

सेवा में,

कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (मानव संसाधन),
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, न्यू दण्डला।

विषय -

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण।

संदर्भ -

(1) प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी शंकर, निवासी सराय गढी नई आबादी बाईपास रोड सासनीगेट, अलीगढ़ दिनांक-16.07.2024 प्राप्त दिनांक-22.07.2024.
(2) आर.टी.आई-769

महोदय

कृपया उपरोक्त प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी शंकर संदर्भ-1 के विषय के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, कि ग्राम-रुस्तमपुर सकत खाँ, परगना व तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ के गाटा संख्या-133, 137, 138 की भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत की गयी जो उपरोक्त गाटा संख्या में संजय कुमार पुत्र श्री तेजपाल, पि0 दुर्गा विहार कालीनी, निकट पचनगरी जनपद-अलीगढ़ सहखातेदार थे, संजय कुमार पुत्र श्री तेजपाल ने दिनांक 27.10.2009 को 100 वर्ग गज के प्लॉट का बैनामा रतन कुमारी पत्नी श्री राम किशन के पक्ष में विक्रय किया था, उपरोक्त बैनामा के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी है। जो निम्नवत् है :-

1	कृपया अवगत कराये कि, रतन कुमारी पत्नी राम किशन निवासी सराय हरनारायन सासनी गेट अलीगढ़ का प्लॉट रकबा 100 वर्ग गज गाटा संख्या-133, 137 व 138 स्थित ग्राम रुस्तमपुर सकत खाँ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ जो बैनामा दिनांक 27.10.2009 को संजय कुमार से क्रय किया गया है, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से प्रभावित है या नहीं, जिसमें कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक/ इंजी0 डी.एफ.सी.सी.आई.एल. न्यू दण्डला खाँ आशुतोष गर्ग जी द्वारा दिनांक 13.03.2024 को सूचना प्रेषित की गई है कि श्रीमती रतन कुमारी पत्नी श्री राम किशन का प्लॉट मौके पर प्रभावित नहीं है।	श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, कोल की जांच आख्या दिनांक -23.11.2012 के अनुसार ग्राम-रुस्तमपुर सकत खाँ के गाटा संख्या-133 रेलवे विभाग की परियोजना हेतु अर्जित से प्रभावित नहीं है। गाटा संख्या-137 में से रकबा-0.130 हे0 व गाटा सं. 138 में से 0.216 हे0 भूमि रेलवे विभाग की परियोजना हेतु अर्जित की जा रही है गाटा संख्या-137, 138 को मिलाकर प्लॉटिंग हो चुकी है, तथा प्लॉट धारकों के नाम बैनामा भी हो चुके हैं जिन लागू न प्लॉट खरीदे हैं वह मौके पर काबिज नहीं हैं और न ही उन्हें अपने प्लॉट की मौके की स्थिति के बारे में पता है, तथा कोलानाइजर द्वारा तैयार किया गया नक्शा भी बैनामा धारकों के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में यह तय नहीं हो पा रहा है, कि बैनामा धारकों की कितनी भूमि (प्लॉट) रेलवे की परियोजना में प्रभावित हो रही है, (छाया प्रति संलग्न)।
2	उक्त सूचना सही है अथवा गलत है व किस आधार पर प्रेषित की गई है, कृपया बताने का कष्ट करें।	श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कोल द्वारा ग्राम रुस्तमपुर सकत खाँ की जांच आख्या दिनांक 23.11.2012 के अनुसार है। क्र.सं-1 में उपरोक्त का विवरण दिया जा चुका है।
3	प्रेषित सूचना दिनांक 13.03.2024 की सत्यापित कॉपी देने का कष्ट करें।	दिनांक 13.3.2024 की सत्यापित कॉपी कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सं0सं0) अलीगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं।
4	श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कोल द्वारा गाटा संख्या 133, 137 व 138 ग्राम रुस्तमपुर सकत खाँ की आख्या दिनांक 23.11.2012 की सत्यापित कॉपी देने का कष्ट करें।	श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कोल द्वारा गाटा संख्या 133, 137 व 138 ग्राम रुस्तमपुर सकत खाँ की आख्या दिनांक 23.11.2012 की सत्यापित कॉपी कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सं0सं0) अलीगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं। छाया प्रति संलग्न है।

तदनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना पर आगे कार्यवाही करने का कष्ट

करें।

सलमनक - उपरोक्तानुसार।

सिकन्दर हसीब
(सिकन्दर हसीब) 31/7/2024

सहायक परियोजना प्रबन्धक (इंजी0)
डी एफ सी सी आई एल, न्यू दण्डला खाँ।

महोदय

कार्यालय विशेष श्रमि अध्यापित अधिकारी (सं.सं) अलीगढ़
के पत्रांक 2782/आठ-वि.श्र.अ.अ.(सं.सं) अलीगढ़. दि० 31/10/12
गाम-रुस्तमपुर सुकत खाँ के गाया सं. 133, 137, 138, 162 की श्रमि रेलवे
विभाग की परियोजना डी.एफ.टी. आई.एल. हेतु अर्जन से प्रभावित
श्रमि के सम्बंध में मौके के अनुसार चाही गयी आस्था निम्न है।

गाम रुस्तमपुर सुकत खाँ का गाया सं. 133 रेलवे विभाग की
परियोजना हेतु अर्जन से प्रभावित नहीं है, गाया सं. 137 क्षेत्र 0.566 हे०
व 138 क्षेत्र 0.529 हे० दौजीराम पुत्र मिशनलाल व विद्योदवी
पत्नी दशरथका व संजयकुमार पुत्र तेजपाल ने नाम खतौनी में
सं. श्र० के रूप में दर्ज है, गाया सं. 137 में सं. 0.130 हे० व
गाया सं. 138 में सं. 0.216 हे० श्रमि रेलवे विभाग की परियोजना हेतु
अर्जित की जा रही है। गाया सं. 137, 138 व 133 को मिलाकर
प्लॉटिंग हो चुकी है तथा प्लॉट धारकों के नाम व नामा भी
हो चुके हैं, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं व ह मौके पर काबिज
नहीं हैं और न ही उन्हें अपने प्लॉट की मौके की स्थिति के बारे
में पता है, तथा कोलोनइजर द्वारा तैयार किया गया नक्शा भी
व नामा धारकों के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में
यह तय नहीं हो पा रहा है कि व नामा धारकों की कितनी श्रमि
(प्लॉट) रेलवे की परियोजना में प्रभावित हो रही है।

674

न कि श्रमि अध्यापित अधिकारी तथा गाया सं. 162 क्षेत्र 1.590 हे० का 1/2 भाग सोनपाल व
अलीगढ़: पद्मपाल पुत्र गण इतवरीलाल व योगेशकुमार व अर्जुनसिंह पुत्र गण

उम्रपालसिंह व कु० लक्ष्मी व कु० भमता व कु० सीमा पुत्रियां प्रेमपालसिंह
सुंदर, लक्ष्मण के ल व विमलेशदेवी पत्नी प्रेमपालसिंह मि० रुस्तमपुर सुकत खाँ के नाम
की अर्जा समेत पत्रा सं. श्र० के रूप में दर्ज है। तथा गाया सं. 162 का 1/2 भाग विजय
है जो अभयउतासिंह आदि से सम्बंधित है, वाद हीवासी-मापालसिंह
उ-जिले के बारे में विचारार्थ है।

गाया सं. 162 क्षेत्र 1.590 हे० में सं. 0.437 हे० श्रमि रेलवे विभाग
की परियोजना में अर्जित की जा रही है। गाया सं. 162 से सम्बंधित
श्रमि में भेजा गया डिस्टाउगाण फन साध में संलग्न है।
रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

4150

महोदय, उपरोक्त मामला से पटनव। रिपोर्ट उचित कार्यवाही